

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1472 व 1473 / 2007 / उदयपुर

मैसर्स मोवनी एक्सट्रक्शन्स प्रा.लि., उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :26.06.2013

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2002 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो निर्धारण वर्ष 1997-98 (आर.एस.टी. व सी.एस.टी) के संबंध में है एवम् जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, उदयपुर द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की कतिपय धाराओं के तहत निर्धारण आदेश किये जाकर, कायम की गयी मांग राशियों को विवादित करने के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 84(3) के तहत विवादित मांग राशि की आवश्यक जमा राशि 20 प्रतिशत जमा नहीं करवाने के अभाव में गुणावगुण पर विचार किये बिना प्रस्तुत दोनों अपीलों को ग्रहण करने योग्य नहीं होना अवधारित कर, प्रस्तुत की गयी अपीलों को अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 1997-98 का निर्धारण आदेश अधिनियम व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.02.2000 को पारित किये जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी को "कर मुक्ति योजना" के प्रावधानान्तर्गत जारी द्वारा कर मुक्ति पात्रता पत्र के जरिये प्रदान किये गये लाभ को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ. 16(60) 22 टैक्स/सीसीटी/97/2052 दिनांक 20.11.1997 के निरस्त किये जाने के कारण आलोच्य अवधि में किये गये विक्रय पर तदनुसार कर दर से करारोपण कर, कर 1,51,018/- व 1,06,646/- की मांग राशि कायम कर,

लगातार.....2

आदेश पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 84(3) के तहत विवादित मांग राशि की आवश्यक जमा राशि 20 प्रतिशत जमा नहीं करवाने के अभाव में गुणावगुण पर विचार किये बिना प्रस्तुत दोनों अपीलों को ग्रहण करने योग्य नहीं होना अवधारित कर, प्रस्तुत की गयी अपीलों अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपीलों को विवादित मांग राशि की आवश्यक जमा राशि 20 प्रतिशत जमा नहीं करवाने के अभाव में गुणावगुण पर विचार किये बिना ग्रहण करने योग्य नहीं होना अवधारित कर, प्रस्तुत की गयी अपीलों को अस्वीकार करने के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त के संबंध में पारित अपीलीय आदेश की सत्यापित प्रति अपीलीय अधिकारी से चाहने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल नोटिसेज दिनांक 02.11.2002 व आदेशिक जिस पर दिनांक 30.05.2000 व दिनांक 02.11.2002 की कार्यवाही अंकित है, की सत्यापित प्रति अपीलार्थी व्यवहारी को प्रदान की गयी, जिसे किसी भी रूप से आदेश नहीं कहा जा सकता। विशिष्ट रूप से कथन किया कि उक्त जारी नोटिसेज अपीलार्थी व्यवहारी को तामिल नहीं हुये अतः प्रस्तुत अपीलों के ग्रहण योग्य होने के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को जानकारी नहीं हुयी। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को उक्त के परिज्ञान में आने पर जारी नोटिसेज की सत्यापित प्रति दिनांक 24.03.2007 को जारी की गयी। अतः अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत विलम्ब के कारण पर्याप्त एवम् संतोषप्रद होने के कारण अपीलें प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक आदेश पारित किये जाने के अभाव में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को "कर मुक्तियोजना" के प्रावधानान्तर्गत जारी द्वारा कर मुक्ति पात्रता पत्र के जरिये प्रदान किये गये लाभ को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.16(60) 22 टैक्स/सीसीटी/97/2052 दिनांक 20.11.1997 के निरस्त किये जाने के कारण आलोच्य अवधि में किये गये विक्रय पर तदनुसार

कर दर से करारोपण कर, कर 1,51,018/- व 1,06,646/- की मांग राशियां कायम कर, आदेश पारित किये गये। कथन किया कि उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के प्रस्तुत कर, अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित मांग राशि की 20 प्रतिशत राशि अधित्यजित करने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त को अस्वीकार कर, प्रस्तुत अपीलों को ग्रहण योग्य नहीं होना अवधारित करने संबंधी नोटिसेज जारी किये गये जिसके आधार पर प्रस्तुत अपीलों को ग्रहण योग्य नहीं होना अपीलीय अधिकारी द्वारा मान लिया गया।

अग्रिम अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त के पत्रांक के जरिये अस्वीकार किये गये लाभ के संबंध में जिला स्तरीय छानबीन समिति को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987(जिसे आगे प्रोत्साहन योजना कहा जायेगा) के तहत प्रदान किये गये कर मुक्ति लाभ को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करने हेतु निवेदन करने पर, जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रदान किये गये कर मुक्ति लाभ को जरिये आदेश दिनांक 12.10.2001 के अस्वीकार कर दिया गया। कथन किया कि उक्त पारित आदेश दिनांक 12.10.2001 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील क्रमांक 131/2002/उदयपुर प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 13.01.2005 जो कि 33 टैक्स वर्ल्ड 34 पर छपा है, तदनु रूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2001 को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी को लाभ प्रदान करने संबंधी निर्णय पारित किया गया। अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया है कि 1994 अधिनियम की धारा 84(3) व माननीय राज० उच्च न्यायालय के निर्णय मै० जी०एस०फार्माब्यूटर प्रा०लि०बनाम् राज० राज्य व अन्य, 9 टैक्स अपडेट 1, में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 84(3) के प्रावधान बाध्यकारी है तथा अपील सुनवायी के लिये निर्धारित न्यूनतम मांग राशि जमा करवाने की बाध्यता वैध एवं संवैधानिक है। अतः उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उक्त बिन्दु पर निर्णय कर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर



उद्धरित न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व हस्तगत प्रकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 85 व 88 के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

Section 85. Appeal to the tax board

(1) An appeal shall lie to the Tax Board against -

(a) **an order** of the State Level Screening Committee or the Direct Level Screening Committee passed under the Incentive Schemes of Deferment Schemes notified under sub-section (2) of section 15 or under sub-section (3) of section 25;

(b) **an order passed** by the Commissioner with regard to determination of a disputed question under section 40 or in any proceeding in exercise of his revisional powers under section 87;

(bb) **an order passed** by the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (2) of Section 30; and

(c) **an order passed by an appellate authority.**

Section 88. No appeal or revision in certain cases

Notwithstanding anything contained in sections 84, 85 and 86, no appeal or revision shall lie against -

(a) a notice or summons issued under this Act for the purpose of assessment or **for any other purpose** including for recording statements; or

(b) a direction to maintain certain accounts or furnish certain information, statement, statistics or return; or

(c) an order for impounding, seizure or retention of accounts, registers or documents; or


(d) an interim order other than an order of provisional assessment, passed in assessment or other proceeding subject however it will be open to the party aggrieved to challenge such interim order in any appeal or revision preferred against the final order; or

(e) any guidelines formulated, instructions issued, directions given or orders passed by the Commissioner under section 93 of the Act.

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अध्ययन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 85(1)(a)(b)(bb)(c) में वर्णित अधिकारियों द्वारा इसमें अंकित धाराओं के अन्तर्गत पारित तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 84 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध ही कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की जा सकती है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी है वह अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 84 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध न होकर, अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जो किसी भी रूप में ग्रहण योग्य नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम में धारा 88 के तहत भी यह विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं कि केवल जारी नोटिस के आधार पर चाहे जारी किया गया नोटिस निर्धारण हेतु हो या किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन के लिये, नोटिस को आधार बनाकर अपील करना प्रतिबंधित है। अतः प्रस्तुत अपील को अधिनियम की धारा 85 व 88 के विशिष्ट प्रावधानानुसार विधिक आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं किया जाना अवधारित कर, अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


26.6.2014
(मदन लाल)
सदस्य